227

न्यायालय सहायक कलक्टर भीण्डर, जिला – उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश सीरवी पुनाड़ियां RAS

GCMS प्रकरण संख्या 2021/198

प्रकरण संख्या 308/21

वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

अनवान

श्री कजोड़

बनाम

श्री मोहन

अनवान

1. श्री कजोड पिता श्री हंसराज मेघवाल आयु वयस्क निवासी मेघवाल बस्ती लुणदा, तहसील कानोड़, जिला उदयपुर (राज.)।

–प्रार्थी

बनाम

1. श्री मोहन पिता भेरा मेघवाल आयु वयस्क निवासी मेघवाल बस्ती लुणदा।
2. श्री खेमराज पिता मोहन मेघवाल आयु वयस्क निवासी मेघवाल बस्ती लुणदा।
3. श्री मुकेश पिता खेमराज मेघवाल आयु वयस्क निवासी मेघवाल बस्ती लुणदा।
4. श्री जीवन पिता खेमराज मेघवाल आयु वयस्क निवासी मेघवाल बस्ती लुणदा।
5. श्रीमती कंकू बाई पत्नी मोहन मेघवाल आयु वयस्क निवासी मेघवाल बस्ती लुणदा।
6. श्रीमती प्रेमी बाई पुत्री खेमराज मेघवाल आयु वयस्क निवासी मेघवाल बस्ती लुणदा।

–विपक्षीगण

अधिवक्ता वादी – विजय कुमार ओस्तवाल

अधिवक्ता प्रतिवादी – मुकेश कुमार गोपावत, भूपेन्द्र कुमार मेनारिया

वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

आदेश **दिनांक : 31.3.2022**

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia

Date: 2022.10.12 17:40:50 IST

Reason: SelfAttested

1. वादी की ओर से निम्न निवेदन है कि मे[illegible] लुण[illegible] पटवार हल्का लुणदा तह. कानोड़ जिला उदयपुर (राज.) में आ.न. 403, 4[illegible]4, 410/2 शामिल नम्बर 411, 431/1 शामिल [illegible] बीघा 9 बि[illegible] स्थित होकर वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादी [illegible]म खातेदारी हक से अं[illegible] है। उक्त आराजीयात का वादी एक मात्र खातेदार काश्तकार होकर स्वामी अधिकारी एवं आधिपत्यधारी है। प्रतिवादीगण संख्या में अधिक होने से उक्त

न्यायालय सहायक कलक्टर, भीण्डर ● जिला–उदयपुर (राज.)

सहायक कलक्टर भीण्डर

Scanned by CamScanner

GCMS प्रकरण संख्या 2021/198
प्रकरण संख्या 308/21
श्री कजोड़ बनाम मोहन

भूमि में जबरन नींव खोद कर पक्का निर्माण कार्य करने के लिए दिनांक 27.6.2018 को मोके पर आए जिससे उनमें विवाद हुआ।

2. इस पर वादी ने गांव के मौतबीरान से भी समझाईश की एवं पुलिस थाना कानोड में भी रिपोर्ट दी। जिस पर पुलिस वालों के सामने भी प्रतिवादीगण ने वादी को उसके खातेदारी भूमि से बेदखल करने की धमकी दी है जिस स्थिति में वादी को अपने हक व अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद वास्ते स्थाई निषेधाज्ञा का पेश करना न्याय हित में आवश्यक हो गया है कि प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि में आवे नहीं। जबरन कब्जा नहीं करे, वादी की आराजी में नींव नहीं खोदे, तथा किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहूंचावे, वादी के शान्ति पूर्वक उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की कोई बाधा पैदा नहीं करे। प्रतिवादीगण को इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्ध कर दिया जाने से प्रतिवादीगण को किसी प्रकार की कोई क्षति होने वाली नहीं है, जबकि वादी को इतनी अशोधनीय हानि होगी जिसका एवजाना नकदी में किसी भी सुरत में नहीं आंका जा सकेगा। वादी का प्रथम दृष्टया केस होकर सुविधा सन्तुलन एवं अतुलनीय क्षति के तीनों बिन्दु वादी के पक्ष में है।

3. पत्रावली को दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी द्वारा अपना जवाब पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 1–6 की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश किया गया कि यह कि वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित तथ्य मोजा लुणदा पटवार हल्का लुणदा तह. कानोड़ जिला उदयपुर राज0 में आ.नं. 403, 405/4, 410/2 शामिल नम्बर 411, 431/1 शामिल नम्बर 484 किता–5 रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा होना एवं वादी के नाम खातेदारी होने की जानकारी हम प्रतिवादीगण को नहीं है।

4. वादी की जमीन के पास प्रतिवादी संख्या 1 मोहन की आराजी है जिसके नम्बर 420 व 406 है जिसमें मोहन पिता भेरा 1/2 हक का हिस्से दार है जिसकी जमाबन्दी पेश है प्रतिवादी संख्या 1 की उक्त जमीन पर वाद जबरन कब्जा करना चाहता है इसलिए उसने यह झूठा दावा पेश किया है जबकि वादी स्वयं ने उक्त आराजी पर अपना मकान बना रखा है एवं मकान की दीवार के बाद से प्रतिवादी मोहन की आराजी है। इस सम्बन्ध में सीमा सम्बन्धी कोई बार विवाद होने पर प्रतिवादीगण ने वादी से कई बार बात की किन्तु वादी मानने को तैयार नहीं है। वादी का वाद सव्यय खारिज किया जावे।

5. पत्रावली में तनकीयात कायम की गई आया मौजा लुणदा पटवार हल्का लुणदा, तह. कानोड़, जिला उदयपुर राज0 [illegible] 403, 405/4, 410/2 शामिल नम्बर 411, 431/1 [illegible] 484 [illegible] 5 रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी के [illegible] खातेदारी हक से अंकित है तथा इस भूमि पर प्रार्थी [illegible] आधिपत्य है जिससे वह विपक्षीगध्ण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी है। आराजीयात के नजदीक आराजी नम्बर 420, 406 है जिसमें मोहन पिता भैरा का 1/2 हक हिस्सा है प्रार्थी इस भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहता है

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.12 17:40:50 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर, भीण्डर • जिला-उदयपुर (राज.) •

सहायक कलक्टर
भीण्डर

Scanned by CamScanner

जिससे उक्त झूठा दावा पेश किया गया है। वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी नहीं है।

6. पत्रावली साक्ष्यवादी पर नियत थी। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर निवेदन किया कि उनके वादी व प्रतिवादी में आपसी राजीनामा हो गया है, एवं प्रतिवादी वादी के हक हिस्से एवं कब्जे काश्त में दखलंदाजी नहीं करेंगे।
7. हमने पत्रावली का अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। हम यह मानते है कि प्रतिवादी और वादी में राजीनामा होने के कारण जरिये राजीनामा पत्रावली का निर्णय किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

8. वादी का वाद जरिये राजीनामा स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी को इस आशय से स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्ध किया जाता है कि वादीगण की कब्जे काश्त एवं हक हिस्से की जमाबंदी संवत 2070–73 भूमि खाता संख्या 16 मोजा लुणदा, पटवार हल्का लुणदा, भू.अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र लूणदा, तह. कानोड़, जिला उदयपुर राज0 में आ.नं. 403, 405/4, 410/2 शामिल नम्बर 411, 431/1 शामिल नम्बर 484 किता–5 रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा में शांतिपूर्वक उपयोग व उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो।
9. निर्णय खुले इजलास में सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर, भीण्डर • जिला–उदयपुर (राज.) •

26/4/22

(रमेश सीरवी पुनाड़िया RAS)
सहायक कलक्टर
भीण्डर जिला–उदयपुर(राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.12 17:40:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner